



मास्क जरूरी,
नहीं कोई मजबूरी

सुविचार

आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है...

www.jalandharbreeze.com

JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 14 JULY TO 20 JULY 2021 • VOLUME-50 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184



INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges & *Pay Money after the Visa

IELTS • STUDY ABROAD



CANADA AUSTRALIA USA

U.K SINGAPORE EUROPE

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा महंगाई भत्ता किया 28 फ्रीसदी

• नई दिल्ली, ब्यूरो

केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर आई है। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी रोक हटाने का फैसला किया गया है। महंगाई भत्ते की दर अब 17 फ्रीसदी से बढ़कर 28 फ्रीसदी हो गई है। फ्रैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते की दर वर्तमान के 17 फ्रीसदी से बढ़कर 28 फ्रीसदी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से अबतक 17 फ्रीसदी की दर से महंगाई



भत्ता मिल रहा था। फ्रैसले के मुताबिक नई दर इसी महीने से लागू हो जाएगी जिसका फायदा जुलाई की तनखाह में मिलेगा। मोदी सरकार के इस फैसले का फायदा केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को होगा। पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक 30 जून 2021 तक लगाई गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर 17 फ्रीसदी से बढ़कर 28 फ्रीसदी हो गई है। लॉकडाउन के दौरान सरकार के फैसले के चलते 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020

और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली महंगाई भत्ते की तीन नई किस्तों पर रोक लगा दी गई थी। अब मोदी सरकार ने इस बढ़ोतरी पर लगी रोक हटा ली है। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 34400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

खेत कामगारों व भूमि रहित काशतकारों का 590 करोड़ का कर्ज माफ करने का ऐलान

• चंडीगढ़, ब्यूरो

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेत कामगारों व भूमि रहित काशतकारों के लिए कृषि ऋण स्कीम के अंतर्गत 590 करोड़ रुपए का उधार पर लिया हुआ ऋण माफ करने का ऐलान किया है जिससे मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सरकार के एक और प्रमुख वादे को पूरा किये जाने का रास्ता साफ हो गया। मंगलवार को हुई उच्च-स्तरीय मीटिंग के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 20 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह दौरान यह चेक जारी किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी सभाओं के 2,85,325 सदस्यों का 590 करोड़ रुपए



के लिए ऋण राहत स्कीम बनायी थी जिसके घेरे में राज्य में पंजाब कृषि सहकारी सभाओं के माध्यम से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी सभाओं के सदस्यों को दिए गए कन्समेशन लोन शामिल होंगे।

कैप्टन ने यह ऐलान मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रोग्राम 'ऋण राहत स्कीम' के अधीन किसानों के ऋण माफ करने के बाद किया गया है। पंजाब कांग्रेस द्वारा साल 2017 में ऋण माफी का चुनावी वादा किया गया था जिसके अंतर्गत इस स्कीम अधीन अब तक 5.64 लाख किसानों का 4624 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है।

'बरगाड़ी बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख समेत किसी को भी क्लीन चिट नहीं'

चंडीगढ़, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र सूरुपा की बेअदबी सम्बन्धी मामलों की जांच सही दिशा की ओर बढ़ रही है, इस बात पर जोर देते हुये स्पेशल इन्वैस्टीगेशन टीम (एसआईटी) के प्रमुख एसपीएस परमार ने सोशल मीडिया के गलत प्रचार को नकारते हुये डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम या किसी अन्य व्यक्ति को क्लीन चिट दिये जाने से इंकार किया है।

मीडिया में विभिन्न समूहों/व्यक्तियों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुये एस.आई.टी. प्रमुख ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और यदि चल रही जांच के दौरान किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सबूत मिलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून अनुसार बनती कार्यवाही की जायेगी। परमार ने बताया कि बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला से सम्बन्धित तीन मामलों की जांच अभी भी चल रही है। थाना बाजाखाना में दर्ज एफआईआर अनुसार, यह स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया है कि यदि बेअदबी सम्बन्धी मामलों के लिए चल रही जांच के दौरान किसी के विरुद्ध कोई सबूत सामने आता है तो उसे गिरफ्तार किया जायेगा और उसके विरुद्ध पूरा चालान पेश किये जाएंगे।

गुरनाम सिंह चढूनी पर बड़ी कार्रवाई, मेहनत व समर्पण सफलता की है कुंजी : भुल्लर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया निलंबित

चंडीगढ़, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा से सात दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। दरअसल, गुरनाम सिंह चढूनी मिशन पंजाब को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे। इसी आधार पर उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा संयुक्त

किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में महापंचायत की तारीखों का भी एलान किया है। सबसे बड़ी महापंचायत मुजफ्फरनगर में होगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों किसान नेता गुरनाम चढूनी के मुख्यमंत्री

मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहने के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अनिल विज ने किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा करने वालों पर निशाना साधा था और कहा था कि महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन नहीं चल सकता। किसान आंदोलन के नेता पूरी तरह फेल हो चुके हैं।

जालंधर, पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने आज चल रही पुलिस भर्ती रैली के इच्छुक युवा पीढ़ी को इस सुनहरी अवसर को प्राप्त करने के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित करने की अपील की। पुलिस लाईन, जालंधर में युवाओं के साथ बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एकाग्रता, सख्त मेहनत और समर्पण सफलता की कुंजी है और उन्हें पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। भुल्लर ने सुझाव



दिया कि इच्छुक उम्मीदवारों को अपना पूरा ध्यान अकादमिक और शारीरिक प्रशिक्षण पर केंद्रित करना चाहिए, जो कि

निशाने को दृढ़ता और एकाग्रता के साथ प्राप्त किया। उन्होंने इच्छुक उम्मीदवारों को भी पुलिस भर्ती रैली में इसी तरह का जोश और जुनून दिखाने की बात की।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस भर्ती रैली की तरफ से उम्मीदवारों को शारीरिक के इलावा अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों के साथ परीक्षा की तैयारी को भी यकीनी बनाया गया है।

पुडा विभाग : सरकार को सिर्फ पैसा जमा करवाओ और सुविधाओं के नाम पर ठेंगा पाओ

• जालंधर ब्रीज, विशेष रिपोर्टर

पंजाब में अगर आप कोई भी प्लाट खरीदते हैं, चाहे वह वैध कालोनी हो या अवैध कालोनी हो हालात दोनों के एक जैसे हैं। परंतु कौमलों में भारी अंतर है। जो लोग वैध कालोनियों में प्लाट खरीदने की समर्था नहीं रखते वे अवैध कालोनियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि सरकार सस्ती दुकान, प्लाट देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। वहीं बेरोजगार व्यक्ति के पास उन अवैध कालोनियों में दुकान अथवा प्लाट खरीदने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता और पंजाब में कांग्रेस की सरकार वैध और अवैध कालोनियों को लेकर पिछले 4 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी चर्चा में बनी हुई है।

जहां लोगों को अपने प्लाट या बिल्डिंग का पैसा जमा करवाने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी गई है जिसमें मुख्य रूप से सड़क, पानी और लाइट न मिल पाना गंभीर मुद्दे बताए गए हैं। वहीं दूसरी ओर पुडा द्वारा काटी गई वैध मार्किट अर्बन एस्टेट फेज 2 के लोग भी सरकार को लाखों रुपए सरकारी फीस जमा करवाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

जिक्रयोग्य है कि जालंधर मॉडल टाउन और ज्योति चौक जैसे एरिया में पार्किंग में जगह न मिल पाने के कारण वाहन खड़े करने के लिए वाहन चालकों को हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वाहनों के गलत पार्किंग के कारण ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी चालान काटते और गाड़ी



वैध कालोनी, अर्बन एस्टेट फेस-2 में टूटी-फूटी पार्किंग



अवैध कालोनी, चहड़ हाइवे प्लाजा टूटी-फूटी सड़कें

• कालोनी वैध हो या अवैध सरकार दोनों में सुविधाएं देने में फेल, हालात एक जैसे।

टो करते हुए देखे जाते हैं। लोगों ने बताया कि जालंधर डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेडीए) द्वारा प्लाट होल्डर्स से अर्बन एस्टेट फेज 2 मार्किट में कमर्शियल जगह के करोड़ों रुपए वसूलने के बावजूद विभाग द्वारा न तो मार्किट के अंदर जाने के लिए टूटी हुई सड़कों को रिपेयर किया गया है। वहीं मार्किट के अंदर

जगह-जगह सीवरेज के ढक्कन खुले पड़े हैं। अब तो स्थिति यह है कि खाली पड़े प्लाटों में जगह-जगह नशेदियों ने नशा करने के लिए जगह बना ली है और नशेड़ी अक्सर यहां पर छुप-छुप कर नशा करते देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि जालंधर शहर के अंदर कोई उचित प्लानिंग न होने से पार्किंग

एक मुख्य समस्या बनी हुई है। लोग अगर ऐसे भीड़-भाड़ वाले बाजार में खरीदारी के लिए आते हैं तो उन्हें अपने वाहनों को पार्किंग के लिए भटकना पड़ता है और मजबूरी में सड़क किनारे जहां जगह मिलता है वहीं अपने वाहनों को पार्क कर देते हैं। ऐसे में गलत पार्किंग के लिए ट्रैफिक

पुलिस या तो चालान काटते हैं अथवा गाड़ी को टो करके ले जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जालंधर में चंडीगढ़ के सेक्टर -17 की तर्ज़ पर अर्बन एस्टेट फेज 2 में जेडीए द्वारा लोगों को प्लाट दिए गए हैं और पार्किंग की सुविधा होने के कारण लोगों द्वारा उक्त प्लाट खरीदे गए थे। क्यों

नहीं विभाग इस जगह को व्यवस्थित कर लोगों को वैध मार्किट में करोड़ों रुपए देने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं दे पा रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि कालोनी वैध हो या अवैध सरकार को सिर्फ पैसा जमा करवाओ और सुविधाओं के नाम पर सिर्फ ठेंगा पाओ।

